RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2667/2026

Anirudh Tiwari S/o Shri Pk Tiwari

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Ajatshatru Mina, Adv.<br>Mr. Rajeev Sogarwal, Adv.<br>Mr. Manav Sharma, Adv.<br>Mr. Rhythm Shrimal, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. M S Shekhawat, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**

**Judgment / Order**

**27/04/2026**

अयाची संख्या–1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

अयाची संख्या–2 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई की तिथि पर प्रकरण के अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक/प्रगति रिपोर्ट व केस डायरी तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का निवेदन है कि विवादित परिसर के संबंध में बेदखली की डिक्री उनके पक्ष में पारित हो रखी है तथा विधिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के माध्यम से कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की गयी है, मात्र दबाव बनाने के लिए मिथ्या आधारों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जो कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि **आज से 15 दिन** में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

RAJASTHAN HIGH COURT

अनुसंधान में सहयोग करे तथा इस शर्त के साथ अभियुक्तगण को आगामी पेशी तक पुलिस थाना **विधायकपुरी, जयपुर शहर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **112/2026** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

यह आदेश अयाची संख्या 2/परिवादी पर नोटिस तामील होने के बाद प्रभावी होगा।

पत्रावली चार **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /99